प्रेसनोट जनपद बागपत

थाना रमाला दिनाँक 05.11.2026

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 242/26 धारा 3(5)/305/318(4) बीएनएस में 01 वाँछित एवं 01 प्रकाश में आए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर, घटना में प्रयुक्त 02 मोबाइल फोन, मुकदमा उपरोक्त में चोरी गई बैटरी तथा घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.11.2026 को थाना रमाला पर वादी विकाश कुमार पुत्र दुर्गपाल सिंह निवासी ग्राम कण्डेरा थाना रमाला जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त अंकुर निवासी छपरौली व 01 अज्ञात द्वारा एक राय होकर वादी को अपने फोन पर फर्जी मैसेज दिखाते हुए, धोखाधड़ी करके वादी की बैटरी (कीमत 4,000 रुपये) को वादी की दुकान से चोरी कर लिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 242/26 धारा 3(5)/305/318(4) बीएनएस में पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 242/26 धारा 3(5)/305/318(4) बीएनएस में 01 वाँछित एवं 01 प्रकाश में आए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर, घटना में प्रयुक्त 02 मोबाइल फोन (कम्पनी LG व MI), मुकदमा उपरोक्त में चोरी गई बैटरी

(कम्पनी लिवगार्ड) तथा घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल होण्डा साइन रजि0 नं0 UP17U3106 बरामद की गई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बंध में थाना रमाला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नोटः- उक्त अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त मोहित पुत्र ब्रह्मपाल सिंह निवासी मौ0 पट्टी भवाला कस्बा व थाना छपरौली जिला बागपत उम्र 28 वर्ष का नाम प्रकाश आया है एवं बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 242/26 में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1-अंकुर पुत्र जयपाल निवासी मौ0 पट्टी भवाला कस्बा व थाना छपरौली जिला बागपत उम्र 26 वर्ष।

2-मोहित पुत्र ब्रह्मपाल सिंह निवासी मौ0 पट्टी भवाला कस्बा व थाना छपरौली जिला बागपत उम्र 28 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर (अभियुक्त अंकुर से बरामद)
- 01 मोबाइल फोन कम्पनी एल.जी.(अभियुक्त अंकुर से बरामद)
- 01 बैटरी (कम्पनी लिवगार्ड)
- 01 मोटरसाइकिल होण्डा साइन नं0 UP17U3106 (घटना में प्रयुक्त)
- 01 मोबाइल फोन एम.आई. (अभियुक्त मोहित से बरामद)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-उ0नि0 नरेशपाल सिंह थाना रमाला जनपद बागपत।

2-है0का0 819 दोसेन्द्र थाना रमाला जनपद बागपत।

3-का0 1043 सुनील थाना रमाला जनपद बागपत।

4-रि0का0 514 आशीष कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।

5-हो0गा0 572 प्रवेन्द्र कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।

प्रेसनोट जनपद बागपत

थाना रमाला दिनाँक 05.11.2026

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 246/26 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार , जिसके कब्जे से चोरी गई 01 हिच बुग्गी, घटना में प्रयुक्त 01 महिन्द्रा ट्रैक्टर मॉडल 575 (बिना नंबर प्लेट) तथा 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद ।



संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 04.11.2026 को थाना रमाला पर वादी श्री प्रवीण कुमार पुत्र विरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी की हिच बुग्गी चोरी कर ली गई। इस सम्बंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 246/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक प्रचलित है।

कार्यवाहीः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत चैकिंग के दौरान थाना रमाला पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 246/26 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है , जिसके कब्जे से चोरी की गई 01 हिच बुग्गी, घटना में प्रयुक्त 01 महिन्द्रा ट्रैक्टर मॉडल 575 (बिना

नंबर प्लेट) तथा 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुए हैं।
उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बंध में रमाला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नोटः- उपरोक्त अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त मुस्तफा पुत्र नजबदीन उर्फ नजबा निवासी ग्राम असारा, थाना रमाला, जनपद बागपत, उम्र करीब 26 वर्ष का नाम प्रकाश में आया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-मुस्तफा पुत्र नजबदीन उर्फ नजबा निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- 01 हिच बुग्गी
- 01 महिन्द्रा ट्रैक्टर मॉडल 575 बिना नम्बर प्लेट (घटना में प्रयुक्त)
- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कार0 .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 सनव्वर अली थाना रमाला जनपद बागपत।
2-उ0नि0 संजय सिंह थाना रमाला जनपद बागपत।
3-है0का0 807 सचिन थाना रमाला जनपद बागपत।
4-रि0का0 602 वेदांत थाना रमाला जनपद बागपत।

BAGHPAT POLICE

थाना रमाला

दिनांक 05-11-2026

थाना रमाला पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर सट्टे की खाईबाडी करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।



जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टा खेलने वाले अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर सट्टे की खाईबाडी करते हुए 02 अभियुक्तों 1. मगनपाल पुत्र ईश्वर उम्र करीब 53 वर्ष , 2.परमवीर उर्फ पम्मी पुत्र शिवचरण उम्र करीब 35 वर्ष निवासीगण ग्राम रमाला थाना रमाला जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से 01 डायरी, सट्टा पर्ची, 01 पैन व 370 रुपये नगद बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

baghpatpolice